

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रघुदेवी पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. ललिता देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रेखा देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. जानकी लाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रामकन्या देवी पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. यमुना देवी पत्नी सत्यनारायण ब्राह्मण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. पियुष कुमार पुत्र सत्यनारायण ब्राह्मण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. हन्सा कुमारी पुत्री सत्यनारायण ब्राह्मण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रंजना देवी पुत्री सत्यनारायण ब्राह्मण जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
8. उप पंजीयक भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 13/2016 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित— इस वाद में आज तारीख 25.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी /अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


25/4/25
सहायक कलक्टर (अरुण कुमार जैन)
भीलवाड़ा कलक्टर
भीलवाड़ा